नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर में पुराने टाईप-तृतीय के आवास संख्या- 03, 04, 12, 13, 16, 17, 18 व 19 को निष्प्रयोज्य / ध्वस्तीकरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या- 427/2021/427/6-पु-7-2021-135/2015 टीसी-1 दिनांकः 12-11-2021 के द्वारा प्रदान की गयी है, जिसकी सार्वजनिक नीलामी दिनांकः 01-12-2022 को संस्था परिसर में समय 12:00 बजे की जायेगी।

नीलामी की शर्ते ::-

1- निष्प्रयोज्य भवनों की **बोली उपरोक्तानुसार सभी 08 भवनों के लिए अलग-अलग बोली जायेगी।**

2- जो व्यक्ति नीलामी में भाग लेगा उसे रूपया 50,000/- का बैक ड्राफ्ट जो अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर के पक्ष में निर्गत हो, पंजीकरण शुल्क बोली के स्थान पर शिविरपाल के पास जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी स्थिति में नकद स्वीकार नहीं की जायेगी, जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी, उसे छोड़कर अन्य सभी की जमा पंजीकरण शुल्क (बैक ड्राफ्ट) बाद नीलामी वापस कर दिया जाएगा।

3- जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी उसे निर्धारित अवधि के अन्दर नीलामी की धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

4- बोलीदार बोली बोलने से पूर्व शिविरपाल के माध्यम से निष्प्रयोज्य भवनों को अवश्य देख ले, ताकि बोली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो सकें।

5- सबसे अधिक बोली बोलने वाले को ही निष्प्रयोज्य भवनों का मलवा / सामग्री ले जाने का अधिकार सामान्यतया संस्था द्वारा दिया जायेगा।

6- बोली के उपरान्त बोलीदार को नीलामी की सभी निष्प्रयोज्य भवनों की सामग्री ले जाने के लिए अवधि अलग से कार्यादेश में निर्धारित की जायेगी।

7- निष्प्रयोज्य भवनों को तोड़ते समय संस्था के किसी भी राजकीय सम्पत्ति को नुकासन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बोलीदार को नुकसान की तत्काली भरपाई करनी होगी।

8- निर्धारित अवधि के अन्दर ठेकेदार यदि निष्योज्य भवनों की सामग्री नहीं ले जाता है तो उसे रू0 200/- प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

9- बोली के बाद प्रश्नगत निष्प्रयोज्य भवनों से निर्गत सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। संस्था सुरक्षा के लिए कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

10- राजकीय हित में आवश्यकतानुसार बिना कोई कारण बताये सार्वजनिक नीलामी अथवा बोली को अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0 सीतापुर द्वारा निरस्त किया जा सकता है। जिस पर कोई अपील स्वीकार न होगी। अपर पुलिस महानिदेशक, पी0टी0सी0 सीतापुर द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

-- क्रमशः पृष्ठ दो पर --

11- बोली से सम्बन्धित सभी बोलीकर्ताओं को विभागीय / शासन के इस विषय में निर्गत आदेशों को मानना आवश्यक होगा। नियमानुसार बोली के अतिरिक्त निर्धारित दर में ठेकेदार को व्यापार कर / विक्रीकर अथवा अन्य देय कर देना अनिवार्य होगा।

12- उक्त सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने वाले फर्म / फर्म मालिक का जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन पंजीकृत न होने पर सम्बन्धित फर्म बोली लगाने हेतु अर्ह नहीं होगी। बोली लगाते समय सम्बन्धित फर्म द्वारा पंजीकरण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13- सर्वोच्च बोली लगाने वाले फर्म को निर्धारित दरों के अनुसार जी0एस0टी0 व अन्त देय कर आदि अपने पास से राज्य / केन्द्र के लेखे में जमा करते हुए उसकी रसीद मूलरूप में कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त नीलामी की धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी।

14- निष्प्रयोज्य भवनों की नीलामी हेतु बोली बोलने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण दिनांकः 01-12-2022 को प्रातः 11:00 बजे तक होगी। इच्छुक ठेकेदार अपना पंजीकरण नियत समय से करायेगें अन्यथा समय समाप्ति के पद्गचात पंजीकरण न होने की दशा ठेकेदार नीलामी की बोली में भाग लेने के पात्र नहीं होगें।

अतः सर्वसम्बन्धित को अवगत कराया जाता है कि आप उक्त नियत तिथि पर उपस्थित होकर बोली में भाग लेने का कष्ट करें।

संख्या- भ-46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56/2022
दिनांकः 19 नवम्बर, 2022

19/11/2022

(राज कमल यादव)
पुलिस अधीक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,
सीतापुर।

<u>प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवद्गयक कार्यवाही हेतु प्रेषित ::-</u>

1- अपर पुलिस महानिदेद्गाक, लखनऊ जोन, लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।
3- पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक, जनपद सीतापुर।
5- सेनानायक, द्वितीय वाहिनी पी0ए0सी0 / ग्यारहवीं वाहिनी पी0ए0सी0 / 27वीं वाहिनी पी0ए0सी0 सीतापुर / एस0पी0 एम0बी0ओ0 सीतापुर।
6- अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपाधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर।
7- नगर पालिका, सीतापुर / अधिशासी अभियन्ता / नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड, सीतापुर।
8- शिविरपाल को इस निर्देश के साथ कि उक्त नीलामी सूचना का ब्यापक प्रचार / प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
9- दफ्तरी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

****